न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा
पीठासीन अधिकारीः हरि मोहन मीना I.A.S.

प्रकरण संख्या – 189/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

जीसीएमएस नं0 2016/00355

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा।

––प्रार्थी.

बनाम

1. नन्दा पुत्र लक्ष्मण जाति चमार निवासी रघुनाथपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
2. मोहनी बाई पत्नि नन्दा जाति चमार निवासी रघुनाथपुरा तहसील रामगजमण्डी जिला कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवन्टन) नियम 1970

उपस्थिति

1. श्री बृजराज सिंह चौहान राजकीय अभिभाषक
2. श्री हरिसिंह शक्तावत, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक –08/02/2022

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि आवंटी अप्रार्थी नन्दा पुत्र लक्ष्मण मोहनी बाई पत्नि नन्दा जाति चमार निवासी रघुनाथपुरा तहसील रामगजमण्डी जिला कोटा को ग्राम रूपपुरा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 143 की रकबा 0.80 हे0 भूमि दिनांक 25.11.2010 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत निरस्त कराने हेतु प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 08.09.2016 को पेश किया गया।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी को नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया । आवंटन पत्रावली तलब की गई । अप्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री हरिसिंह शक्तावत उपस्थित । वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस करना चाहा । राजपक्ष की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।
3. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से आवंटन निरस्त योग्य होने से आवंटन निरस्ती का प्रकरण भिजवाया गया है । यदि अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त किया जा रहा है तो कब्जा काश्त की जांच कराई जाकर उसी अनुरूप कार्यवाही की जा सकती है ।
4. वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी को नियमानुसार दिनांक 25.11.2010 को कृषि प्रयोजनार्थ ग्राम रूपपुरा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 143 की रकबा 0.80 हे0 भूमि आवंटन की गई थी, आवंटन पश्चात से ही अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त किया जा रहा है । पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट के आधार पर यह प्रकरण प्रस्तुत हुआ है । अप्रार्थी के आवंटन को 10 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है तथा आवंटन के 6 वर्ष बाद आवंटन निरस्तीकरण का प्रकरण प्रस्तुत किया है जबकि आवंटन के तीन वर्ष पश्चात

जिला कलक्टर
कोटा

ही खातेदारी देने का प्रावधान है । अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर अप्रार्थी आवंटी के हक में किया गया आवंटन यथावत रखते हुए खातेदारी देने के आदेश फरमावें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से तथा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है । इसके विपरीत आवंटी अप्रार्थी द्वारा नियमित कब्जा काश्त करना बताया है । राजकीय अभिभाषक द्वारा भी कब्जा काश्त की जांच बाबत कथन किया है । तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत आवंटन निरस्तीकरण के प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त नहीं करने बाबत पर्याप्त आधार राजस्व रेकार्ड खसरा गिरदावरी की नकले संलग्न नहीं की है जिस कारण अप्रार्थी आवंटी के कब्जा काश्त नहीं करने की पुष्टि नहीं हो रही है । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर नहीं होने से प्रकरण अस्वीकार योग्य पाते है ।

6. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के पर्याप्त आधार खसरा गिरदावरी आदि पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थी के हक में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 25.11.2010 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है । साथ ही तहसीलदार रामगंजमण्डी को यह आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी आवंटी द्वारा नियमित काश्त की जा रही है तथा खातेदारी प्राप्त करने के लिए पात्र हो तो आदेश जारी होने के एक माह के अन्दर खातेदारी देने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें ।

7. **निर्णय आज दिनांक 08.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।**

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा